न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)सांचौर, जिला-जालोर

पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :- 20/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :- 2014/00033

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 जोगाराम पुत्र सोनाराम 2 देवाराम पुत्र सोनाराम 3 अर्जुनराम पुत्र सोनाराम 4 जीवाराम (फौत) के कायम मुकाम अ-ओखाराम पुत्र जीवाराम ब-बिजलाराम पुत्र जीवाराम स-नारणाराम पुत्र जीवाराम जातियान-दरोगा, निवासीगण- रावतसर (हरियाली), तहसील सांचौर, जिला-जालोर		1 शैतानसिंह पुत्र वदसिंह 2 राणसिंह पुत्र वदसिंह जातियान-राजपुत, निवासीगण- हरियाली, तहसील-सांचौर 3 राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :- 11.02.2014

उपस्थिति :-

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बिश्नोई व रमेश बाजग उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही।

:- निर्णय :- दिनांक :- 13.01.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा रावतसर पटवार हल्का-हरियाली तहसील-सांचौर में हम प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत खसरा नंबर 345 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 353 रकबा 1.88 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.58 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसके चारों और वर्षों पुरानी माठें कायम है। उक्त आराजी पर हम प्रार्थीगण की रहवासीय ढ़ाणी भी स्थित है। जिसमें हम सपरिवार निवास करते आ रहे है। उक्त आराजी पर हम प्रार्थीगण खेतीबाड़ी कर हमारी आजीविका चलाते है। उक्त आराजी का लगान भी वादीगण संयुक्त रूप से अदा करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि हम वादीगण के खातेदारी मालिकाना हकहकूक कब्जाकाश्त की भूमि हैं। उक्त भूमि राजस्व ट्रेस नक्शा में किस्तवार अलग तरमीमसुदा आई हुई है, जो सलंग्न नक्शे व जमाबंदी से स्पष्ट है, इसी अनुसर मौके पर माठें कायम है। वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 येन केन प्रकारेण जबरन हड़प कर हम प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण कब्जा करना चाहते है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी का कोई हकहकूक, कब्जा या अधिकार नहीं है से ... करने का उन्हें कानूनी हक नहीं है ऐसा कृत्य अप्रार्थीगण का अवैधानिक ... आराजी खसरा नंबर 345 रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि के उतरी सिरे पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत आये हुए है। खसरा नंबर 345 व अप्रार्थीगण के खेत के मध्य वर्षों पुरानी माठें कायम है तथा क...की बाड़ भी की हुई है। उक्त माठ को अप्रार्थीगण आये दिन तोड़ते रहते है तथा उक्त माठ व बाड़ को तोड़कर जबरन अवैधानिक तरीके से माठ हम प्रार्थीगण के खेत में सिरकाते रहते है तथा जबरन व अवैध तरीके से कब्जा करनें की फिराक में रहते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण नें एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा हर समय उपरोक्त कृत्य करनें में भरपुर यत्न करते रहते है तथा प्रार्थीगण को काश्त करने में भारी विघ्न इत्यादि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

डालते रहते है। प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकियां भी देते है कि आपने हमारे विरूद्ध कोई कार्यवाही की तो झूठे मुकदमें में फंसा देगें। इस प्रकार हम प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने हैरान परेशान कर रखा है। इस संबंध में हम प्रार्थीगण नें कई बार गांव के पंच मुख्यान से पंच पंचायती भी करवाई, लेकिन अप्रार्थीगण अपनी बेजां हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। वादग्रस्त भूमि को अवैध एवं विधि विरूद्व तरीके से अपनें खेत में मिलानें की चेष्टा करते रहते है तथा हमें जबरन बेदखल करना चाहते है। प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श 'अ' में वर्णित लाल स्याही स्थान की माठ का स्थाई हल उक्त खेत की स्थाई नेखमबंदी पत्थर, चीणें इत्यादि दीवार बनाकर सीमा निर्माण करनें एवं नेखमबंदी करने हेतु दावा पेश है। अतः खसरा संख्या 345 रकबा 0.70 हैक्टेयर की उतरी माठ का नक्शे में तरमीम अनुसार व वादपत्र के साथ प्रस्तुत प्रदर्श नक्शा 'अ' में लाल स्याही से वर्णित स्थान की माठ पर स्थाई नेमखबंदी हेतु पत्थरगढ़ी करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 345 रकबा 0.70 भूमि के उतरी सिरे पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत आये हुए है। खसरा संख्या 345 व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत आये हुए है। खसरा संख्या 345 व अप्रार्थीगण के खेत के मध्य वर्षों पुरानी माठे कायम है उक्त माठ को अप्रार्थीगण आये दिन तोड़ते रहते है। अतः खसरा संख्या 345 की उतरी माठ का नक्शे में तरमीम अनुसार व प्रदर्श नक्शा 'अ' में लाल स्याही से वर्णित स्थान की माठ पर स्थाई नेखमबंदी हेतु पत्थरगढ़ी करने का आदेश फरमावें। अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आधारहीन व सारहीन होने से खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश जमाबंदी मौजा रावतसर खाता संख्या 32 नकल नक्शा ट्रेस रावतसर व हरियाली प्रतिलिपि नक्शा प्रदर्श 'अ' का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा रावतसर, पटवार हल्का–हरियाली के खेत खसरा संख्या 345 रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में उपरोक्त आराजी के उतरी माठ पर स्थाई नेखमबंदी [illegible] नेखमबंदी का तमाम व्यय प्रार्थीगण स्वयं वहन करें। तहसीलदार सांचौर की पालनार्थ [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.03.18 16:02:07 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर, जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक **13.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर